कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

Email-deo.mpedcdw@mp.gov.in, Th.07162-243407

परिशिष्ट - ए

1. वृत चांदामेटा के वार्ड क्रमांक 10 में 01 अप्रेल 2025 से 15 जुलाई 2025 तक निम्नानुसार व्यक्तियों के रिहायशी मकानो/दुकानों पर .छापे की कार्यवाही की गई है:-

क्रमांक	नाम	कार्यवाही विवरण
1	जगरू पिता निपतलाल विश्वकर्मा	10 ली0 हाथ भटटी मदिरा एवं 50 किलो महुआ लाहन जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया ।
2	गंगाराम पिता रामप्रसाद बावरिया	कोई मादक पदार्थ बरामद नही हुआ।
3.	विजेता पिता बाबूलाल बावरिया	कोई मादक पदार्थ बरामद नही हुआ।
4.	पारस पिता सुंदरलाल उइके	कोई मादक पदार्थ बरामद नही हुआ।
5.	विकास पिता रामदिन बावरिया	कोई मादक पदार्थ बरामद नही हुआ।

2. वृत परासिया के वार्ड क्रमांक 17 पेन्चवेली स्कूल के पीछे में 01 अप्रेल 2025 से 15 जुलाई 2025 तक निम्नानुसार व्यक्तियों के रिहायशी मकानो/दुकानों पर .छापे की कार्यवाही की गई है:-

क्रमांक	नाम	कार्यवाही विवरण
1.	सुनीता पति दिनेश उइके	04 ली0 हाथ भटटी मदिरा जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया ।
2.	विनय पिता स्व0 नारायण वानवंशी	10 ली0 हाथ भटटी मदिरा जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया ।
3.	बबीता पति प्रभात ठाकुर	02 ली0 हाथ भटटी मदिरा जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया ।
4.	राकेश पिता रामचरण धुर्वे	10 ली0 हाथ भटटी मदिरा जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया ।
5.	सबाना पति नूरी कुरैशी	10 ली0 हाथ भटटी मदिरा जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया ।
6.	जमुना पति स्व0 सुभाष यादव	कोई मादक पदार्थ बरामद नही हुआ।
7.	बंटी पिता विजय उइके	कोई मादक पदार्थ बरामद नही हुआ।
8.	जमुना पति स्व0 सुभाष यादव	कोई मादक पदार्थ बरामद नही हुआ।

3. परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तगर्त होटल/ढाबों में 01 अप्रेल 2025 से 15 जुलाई 2025 तक निम्नानुसार छापेमार कार्यवाही की गई है:-

क्रमांक	नाम	कार्यवाही विवरण
1.	राहुल पिता तीरथ डेहरिया	0.83 BL स्प्रिट जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया ।
2.	सुखदेव पिता श्यामाराम ब्रम्हे	1.2 BL बीयर जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया

क्रमशः---2

Scanned with OKEN Scanner

		।
3.	अजीत कुमार पिता श्रीनंद दुबे	2.88 प्लेन मदिरा जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया ।
4.	अभय पिता गंगु रावतेस	1.33 स्प्रिट बीयर जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया ।
5.	सचिन पिता लक्ष्मण श्रीवास	2.7 BL स्प्रिट जप्त करं प्रकरण दर्ज किया गया ।
6.	विकास पिता दोलक गढेवाल	7.8 BL बीयर जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया ।
7.	दशरथ पिता दीपक सूर्यवंशी	0.36 BL स्प्रिट जप्त कर प्रकरण दर्ज कियां गया ।
8.	सचिन पिता कमलेश गाढके	6.69 BLस्प्रिट बीयर जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया ।
9.	किशोर पिता तुफानी केवट	2.52 BL स्प्रिट जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया ।
10.	अवधेश पिता गजराज सिंह	9.72 BL स्प्रिट जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया ।
11.	सोनू पिता सुन्दरलाल पटेल	कोई मादक पदार्थ बरामद नही हुआ।
12.	अभय पिता गंगु रावतेस	कोई मादक पदार्थ बरामद नही हुआ।

(अजीत एक्का)
जिला आबकारी अधिकारी
जिला -छिन्दवाड़ा(म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट - दो

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला–छिंदवाड़ा (म.प्र.)

Email-deo.mpadcdw@mp.gov.in, दूरभाष--07162-243407

क्रमांक/आब./अप./2025/.I : ./ छिंदवाड़ा, दिनांक . .07 2025

प्रति,

सोहनलाल बाल्मीक जी
मान. विधायक विधानसभा क्षेत्र परासिया
जिला–छिंदवाड़ा (म.प्र.)

विषय :– परासिया विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब के विकय पर प्रतिबंध लगाये जाने व नियम विरूद्ध तरीके से संचालित आहतों को बन्द कराये जाने के संबंध में।

संदर्भ:– आपका पत्र क्रं.वि.स./परासिया/127/2025/254 दिनांक 16.06.2025।

उक्त पत्र के संलग्न शिकायत की जांच वृत–परासिया प्रभारी अधिकारी श्री जीत सिंह धुर्वे, आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा करवाई गई। उनके द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में लेख किया है कि विधान सभा क्षेत्र कमांक–127 परासिया क्षेत्रांतर्गत वृत परासिया एवं चांदामेटा में अवैध मदिरा निर्माण के अड्डों,परिवहन व संग्रहण, अवैध मदिरा विकेताओं तथा अवैध तरीके से संचालित आहतो/होटलों पर निरंतर कार्यवाही कर सतत् छापामार कार्यवाही व गश्त किया जाता हैं।

परासिया विधान सभा क्षेत्र मे वृत परासिया अंतर्गत माह जून–2025 में कुल 29 स्थानों पर छापामार कार्यवाही की गई। जिसमे 23 न्यायालयीन प्रकरणों मे कुल 45 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, 21.48 लीटर देशी/विदेशी मदिरा जप्त किया गया तथा अवैध मदिरा निर्माण के अड्डों पर कार्यवाही कर 4825 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद कर विधिवत नष्ट किया गया। प्रकरणों मे जप्त सामग्री का अनुमानित कीमत लगभग 4,95,655/– रूपये हैं। उपरोक्तानुसार, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों के अपराधिक चालान मान. संलग्न न्यायालय मे प्रस्तुत किये जा रहे है।

परासिया विधान सभा क्षेत्र में वृत चांदामेटा अंतर्गत माह जून–25 में कुल 36 स्थानों पर छापामार कार्यवाही की गई। जिसमें 33 न्यायालयीन प्रकरणों मे कुल 151 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, 21.51 लीटर देशी/विदेशी मदिरा जप्त किया गया तथा अवैध मदिरा निर्माण के अड्डों पर कार्यवाही कर 5575 किलोग्राम महुआ लहान बरामद कर विधिवत नष्ट किया गया। प्रकरणों मे जप्त सामग्री का अनुमानित कीमत लगभग 5,84,348/–रूपये है। उपरोक्तानुसार, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों के अपराधिक चालान मान. सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत किये जा रहे है।

अतः संदर्भित पत्र द्वारा उल्लेखित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुये आगे भी वृत परासिया एवं चांदामेटा मे अवैध मदिरा निर्माण के अड्डों, परिवहन व संग्रहण, अवैध मदिरा विकेताओ तथा अवैध तरीके से संचालित आहतो/होटलों के विरूद्ध निरंतर सतत् निगरानी व कार्यवाही की जाएगी।

संदर्भित पत्र के संलग्न शिकायत पर विधिवत कार्यवाही की गई, तथा निरंतर कार्यवाही की जाती रहेगी।

सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

(अजीत एक्का)
जिला आबकारी अधिकारी
जिला–छिंदवाड़ा (म.प्र.)

कार्यालय विधायक परासिया ... 14/07/...

... अधिकारी ... वाणिज्यिक कर विभाग ... आबकारी ... भोपाल